



उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ

मो०नं० 7607355882

पत्रांक 2964 / एच०एम०बी० / 342 / 2014 / TC

दिनांक 23-12-2020

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,

समस्त डी०एच०पी० कालेज।

(सम्बद्ध-होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ०प्र०)

महोदय,

आपके कालेज में अध्ययनरत छात्रों का डी०एच०पी० सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष छात्रों का इन्रोलमेन्ट जारी किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में एक रू० 10 का नोटरी शपथ पत्र संलग्न प्रारूप पर दिनांक 23.12.2020 से 31.12.2020 तक कार्यालय की ई-मेल आईडी registrar@hmbup.in पर भेज कर, मूल रूप में बोर्ड कार्यालय में डाक/स्वयं प्रेषित करे।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(विनोद कुमार यादव),
रजिस्ट्रार।

शपथ-पत्र

समस्त रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ

प्रबंधक

कालेज का नाम

डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश लेने हेतु निर्धारित अर्हताओं के आधार पर ही डी०एच०पी० पाठ्यक्रम के सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, जो निम्नवत् है :-

1. डी०एच०पी० सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष के अध्ययनरत् छात्रों की 17 वर्ष आयु दिनांक 31.08.2019 को पूर्ण है।
2. डी०एच०पी० पाठ्यक्रम में सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष के अध्ययनरत् छात्र इन्टरमीडिएट में (विज्ञान वर्ग, गणित व जीव विज्ञान) विज्ञान विषय वर्ग की अर्हता पूर्ण है।
3. डी०एच०पी० पाठ्यक्रम में सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष के अध्ययनरत् छात्र उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र की अर्हता पूर्ण है।

कालेज में अध्ययनरत् छात्रों का इन्रोलमेन्ट जारी कर दिया जाय। यदि किसी छात्र का निर्धारित अर्हता/अभिलेख पूर्ण नहीं पाया जाता है, तो उस छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाय। किसी छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कालेज प्रबन्धक की होगी।